"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 87] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी 2014— माघ 29, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्रमांक 1595/डी. 30/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-07-2013 को राज्यपाल एवं दिनांक 11-02-2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) संशोधन अधिनियम, 2013 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2007) की धारा 2 की उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"**स्पष्टीकरण**-जहां खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत याचिका में एकल न्यायाधीश के आदेश या निर्णय के विरुद्ध उठाये गये बिंदु जो, यथास्थिति, किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा निर्णित किये गये हों, वहां पर यह उपधारणा की जावेगी कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित ऐसा आदेश या निर्णय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित किया गया है."

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्रमांक 1595/डी. 30/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 2 of 2014)

CHHATTISGARH HIGH COURT (APPEAL TO DIVISION BENCH) (AMENDMENT) ACT, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) Act, 2006 (No. 1 of 2007).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) Amendment Act, 2013). **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. After first proviso of sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh High Court (Appeal to Division Bench) Act, 2006 (No. 1 of 2007), the following shall be added, namely :- **Amendment of Section 2.**

"**Explanation**-Where points raised in the petition before the Division Bench against the order of judgment of the Single Judge were adjudicated upon, by the Sub-ordinate Court, Tribunal or Quasi-Judicial Authority, as the case may be, it shall be presumed that such order or judgment by the Single Judge of the High Court has been passed in exercise of the supervisory jurisdiction under Article 227 of the Constitution of India."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.